बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

संचिका संख्या – 03/भू0अ0नि0 (04) विशेष सर्वे– 02/2022.....2205.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय।

पटना, दिनांक :– 30/8/2022

विषय :– बेगूसराय के बीरपुर अंचल अन्तर्गत अवस्थित कोठी नील मंझौल ठेकेदार (गैरमजरूआ) के नाम पर सर्वे खतियान में दर्ज भूमि के सर्वे हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 771 दिनांक– 15.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा बीरपुर अंचल के मौजा–अराजी पानापुर, थाना सं0–446 के सर्वे खतियान में कोढ़ी नील मझौल ठीकेदार (गैर–मजरूआ) दर्ज है, का खाता किसके नाम से खोला जाय के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

सर्वे खतियान में ''ठीकेदार'' पद का खाता में प्रयोग किया गया है, जो बकाश्त भूमि पद के समान होने का विभिन्न अधिनियम एवं न्यायालय के आदेश में उल्लेखित या स्पष्ट किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

(क) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा– 21 क– ''बकाश्त भूमि'' पद से अभिप्रेत है, धारा– 120 में यथापरिभाषित स्वत्वधारी की निजी भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि, जो तत्समय स्वत्वधारी या भू–धारक के जोत–कब्जे में हो।

(ख) भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा– 18 की उपधारा– (2) के अनुसार बकाश्त भूमि से तात्पर्य है, स्वत्वधारी की निजी भूमि या भू–स्वामी को विशेषाधिकृत भूमि से मिली कोई ऐसी भूमि जो उस समय स्वत्वधारी या भू–धृतधारी के जोत–कब्जे में है।

(ग) ''बकाश्त मालिक या ठीकेदार'' पद से अभिप्रेत है, मालिक या ठीकेदार का खेतीहार जैसा कब्जा और उन भूमियों का लागू होगा जो मालिक द्वारा जैसा कब्जा और उन भूमियों किंतु जो बि0का0 अधिनियम की धारा– 120 में यथा परिभाषित जिरात भूमि नहीं– (हीरा लाल सिंह बनाम् मटुकधारी (1928) खंड आई0एल0आर0 पटना 275)

(घ) मथुरा सिंह बनाम् रामरूद्र प्रसाद सिन्हा PLT484 प्रिवी काउन्सिल से 26 अप्रैल, 1935 के निर्णय में बकाश्त मालिक या ठीकेदार के संबंध में उल्लेख है कि– ''Bakasht Malik or Thicadar was used by Settlement officer to indicate lands in direct possession of the Malik or tenure holder which are not their Zirat land or defined in section 120 of the Bengal Tenancy Act.''।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ठीकेदार या बकाश्त भूमि एक समान है, इसलिए बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–5, 6 एवं 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या– 925/रा0 दिनांक– 11.11.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार लगान निर्धारण (Rent Roll) एवं लगान रसीद हो तो उक्त भूमि को रैयती माना जा सकता है अन्यथा अनाबाद बिहार सरकार के खाता में रखा जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में विशेष सर्वेक्षण के अन्तर्गत खाता संधारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

30/8/22
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Saniay 2022\Bimlesh Mishra\director\File no. 03_2022_25.08.2022.doc

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–02 / 2022.........2205.........**पटना, दिनांक**.........30/8/2022
प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–02 / 2022.........2205.........**पटना, दिनांक**.........30/8/2022
प्रतिलिपिः– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–02 / 2022.........2205.........**पटना, दिनांक**.........30/8/2022
प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
30/8/22